न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	तारीख दायर	अन्तिम निर्णय दिनांक
1/207	23.08.2022	21.01.2026

बउनवान

01. रामसिंह पुत्र छोटेलाल जाति माली निवासी ग्राम भडकोल तह० मालाखेडा जिला अलवर

वादी

बनाम

01. उदयराम पुत्र छोटेलाल जाति माली निवासी ग्राम भडकोल तह० मालाखेडा जिला अलवर

असल प्रतिवादी

02. तहसीलदार मालाखेडा लैण्ड होल्डर तह० मालाखेडा जिला अलवर राज०

तरतीबी प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर)

वकील वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विवादित आराजी खाता संख्या 250 आराजी खसरा नम्बर 430 रकबा 0.04 है0, 440 रकबा 0.78 है०, 441 रकबा 0.01 है०, 443 रकबा 0.15 है0, 465 रकबा 0.25 है0, 466 रकबा 0.08 है० कुल किता 6 कुल रकबा 1.31 है० वाके ग्राम भडकोल तहसील मालाखेडा मे वादी व प्रतिवादी असल का 1/2 – 1/2 हिस्सा है। उक्त आराजी पर वादी एवं असल प्रतिवादी शामलात में काबिज दाखिल है। आराजी मुतनाजा पक्षकारान की अबट्‌ आराजी है जिसका अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादी असल काफी प्रभावशाली व शक्तिशाली होने के कारण आराजी मुतनाजा में वादी को पैदावार काश्त करने में रूकावट व मंजाहमत करता है जिसका उसको कोई हक नहीं है असल प्रतिवादी विवादित आराजी मे निर्माण करने पर उतारू है। यदि प्रतिवादी ने उक्त अबट आराजी मे किसी प्रकार का निर्माण कार्य कर कृषि भूमि को अकृषि भूमि बना दी तो वादी को भारी नुकसान होगा, जिस नुकसान की क्षति पूर्ति दीगर तरीके से नहीं हो सकेगी। अतः वादी ने वाद प्रस्तुत कर वाद वादी खिलाफ असल प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाये जाने का अनुतोष चाहा कि डिक्री तकसीम आराजी खाता संख्या 250 आराजी खसरा नम्बर 430 रकबा 0.04 है0, 440 रकबा 0.78 है०, 441 रकबा 0.01 है0, 443 रकबा 0.15 है0, 465 रकबा 0.25 है0, 466 रकबा 0.08 है० कुल किता 6 कुल रकबा 1.31 है० वाके ग्राम भडकोल तह० मालाखेडा का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी तकसीम कर कब्जा वादी को दिलाया जावे तथा प्रतिवादी असल को पाबन्द किया जावे कि बिना तकसीम कराये दीगर शख्स के हक मे रहन बय ना करे, निर्माण कार्य ना करे।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तलबी होने के उपरान्त हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादी संख्या–1 की एकतरफा कार्यवाही की गई। वकील वादी की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने वाद प्रारम्भिक डिक्री करने का कथन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी की बहस पर मनन पश्चात पत्रावली मे प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03.03.2025 को जारी की गयी कि तहसीलदार मालाखेडा को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल जमाबंदी सम्बत् 2075–2078 खाता संख्या नया 250 मे दर्ज आराजीयात ख०न० 430 रकबा 0.04 है०, 440 रकबा 0.78 है0, 441 रकबा 0.01 है0, 443 रकबा 0.15 है0, 465 रकबा 0.25 है0, 466 रकबा 0.08 है० कुल किता 6 कुल रकबा 1.31 है० वाके ग्राम भडकोल तह० मालाखेडा का वादी व प्रतिवादी का 1/2 –1/2 हिस्से का मौके पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के आधार पर रिकॉर्ड एवं मौके के अनुसार रास्ते की सुविधा का ध्यान रखते हुये विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा बैरंग सुर्खी से दर्शाते हुये प्रस्तुत करें।

उक्त वादपत्र के संबंध मे तहसीलदार मालाखेडा द्वारा अपने पत्र क्रमांक–भू.अ./2025/1670 दिनांक 05.12.2025 द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव पेश किये, जो निम्न प्रकार है:–

01. रामसिंह पुत्र छोटेलाल जाति माली, सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा बी.आर.के.जी. बी. शाखा बाराभडकोल आराजी खसरा नम्बर 430 रकबा 0.04 है0 किस्म चाही सोयम, 440/1 रकबा 0.39 है0 किस्म चाही सोयम, 441 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0 मु0 चाह, 443/1 रकबा 0.08 है0 किस्म चाही सोयम, 465/1 रकबा 0.13है0 किता 5 कुल रकबा 0.65 हैक्टेयर के खातेदार रहेगें।
02. उदयराम पुत्र छोटेलाल जाति माली सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा बी.आर.के.जी. बी. शाखा बाराभडकोल 440/2 रकबा 0.39 है0 किस्म चाही सोयम, 443/2 रकबा 0.07 है0 किस्म चाही सोयम, 465/2 रकबा 0.12 है0 चाही सोयम, 466 रकबा 0.08 है0 किस्म चाही सोयम, किता 4 कुल रकबा 0.66 हैक्टेयर के खातेदार रहेगें।

बाद मुताबिक कुरेंजात अन्तिम डिक्री किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे पक्षकारान की खातेदारी दर्ज करने हेतु तहसीलदार मालाखेडा को आदेशित किया जाता है। इसी अनुरूप पर्चा डिक्री बनायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

निर्णय आज दिनांक 21.01.26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)